बिहार सरकार

खेल विभाग

ज्ञाप संख्या–5 / खे.वि. 8–11 / 2024....94....

पटना, दिनांक–...19.3.. / 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषयः– बिहार दिवस–2026 के अवसर पर दिनांक–22.03.2026 को गाँधी मैदान, पटना में स्टॉल निर्माण पर व्यय किये जाने हेतु कुल राशि ₹44,01,400 / – (चौवालीस लाख एक हजार चार सौ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–52 के अधीन बजट शीर्ष "2204–खेल कूद तथा युवा सेवाएँ–104–खेल–कूद–0109–खेल–कूद" विपत्र कोड 52–2204–00–104–0109 अंतर्गत विषय शीर्ष 20–02 "कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार" मद से व्यय होगा।

3. राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में महानिदेशक–सह–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के नाम संधारित पी०एल० खाता PBBPLA035 में अंतरित किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि का लेखा–जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार / बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा। स्वीकृत राशि या उसके किसी अंश के दुरूपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से राशि वसूलनीय होगी।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

6. इस प्रस्ताव पर दिनांक– .03.2026 को संचिका सं०–5 / खे.वि. 8–11 / 2024 के पृष्ठ सं०– / टि० पर आंतरिक वितीय सलाहकार की अनुशंसा प्राप्त है।

7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं०–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।

8. इस राशि की स्वीकृति पर दिनांक 18.03.2026 को संचिका सं०–5 / खे.वि. 8–11 / 2024 के पृष्ठ सं०–41/ टि० पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/03/26

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 / खे.वि. 8–11 / 2024....94....

पटना, दिनांक ...19.3... / 2026

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 / खे.वि. 8–11 / 2024....94....

पटना,दिनांक...19.3... / 2026

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक (खेल) के आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / सहायक निदेशक, योजना / बजट शाखा / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/26

सरकार के संयुक्त सचिव।